HRA ANGUNIA The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 2011/माघ 1, 1932

No. 114]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 2011/MAGHA 1, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2011

का.आ. 143(अ),—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ताजे, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजे, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ताजे, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) नियम, 1995 के नियम 2 में फ्रीजर जलयान से संबंधित खण्ड "2.21" के स्थान पर खण्ड "2.21क" रखा जाएगा।

[फा. सं. 2/89/2010-निर्यात निरीक्षण] डी. एस. ढेसी, संयुक्त संचिव

टिप्पणी: मूल नियम का.आ. 730(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 415(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2002 तथा का.आ. 1029(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2002, का.आ. 1034(अ), दिनांक 9 सितम्बर, 2003, का.आ. 717, दिनांक 25 फरवरी, 2005, का.आ. 612, दिनांक 15 फरवरी, 2007, का.आ. 1519(अ), दिनांक 16 जून, 2008 और का.आ. 2714(अ), दिनांक 28 अक्तूबर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2011

- S.O. 143(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2011.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, in rule 2, for clause "2.21" relating to freezer vessel, clause "2.21a" shall be substituted.

[F. No. 2/89/2010-Export Inspection]
D.S. DHESI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification Number S.O. 730 (E) dated 21st August, 1995, and subsequently amended vide notification number S.O. 415(E) dated 11th April, 2002, S.O. 1029(E), dated 24th September, 2002, S.O. 1034(E) dated 9th September, 2003, S.O. 717 dated 25th February, 2005, S.O. 612 dated 15th February, 2007, S.O. 1519(E) dated 16th June, 2008 and S.O. 2714 (E) dated 28th October, 2009.

228 GI/2011